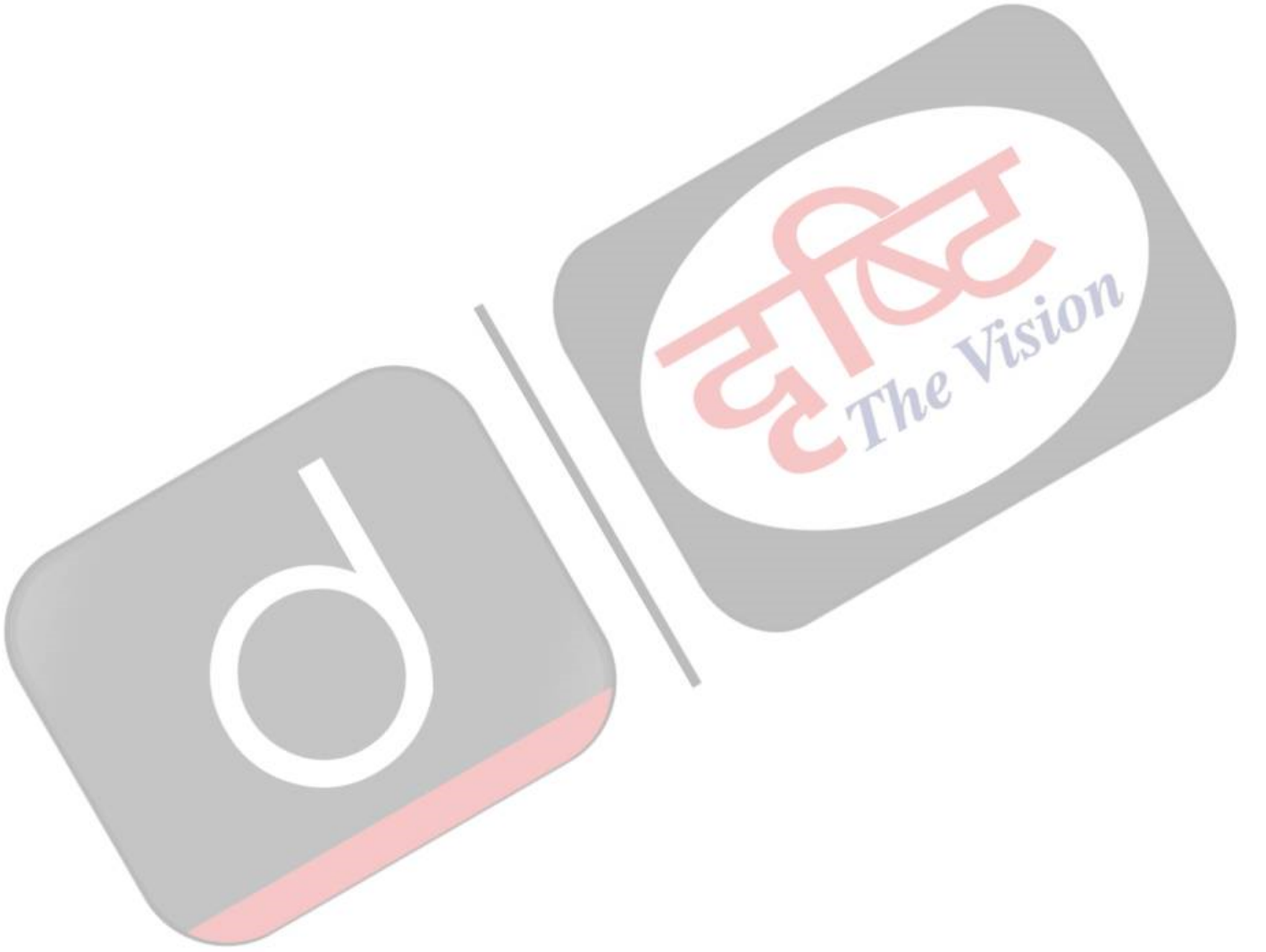


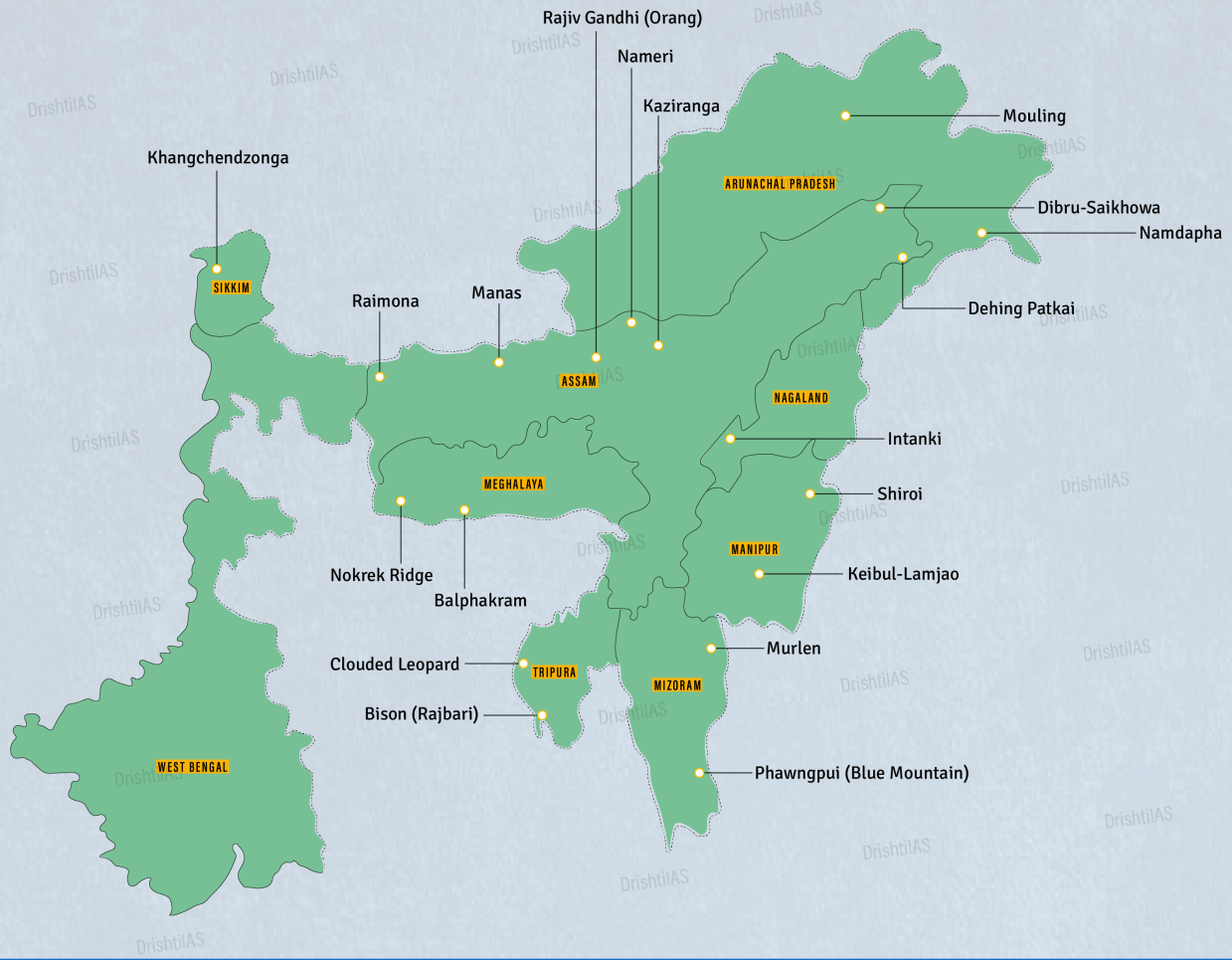


राष्ट्रीय उद्यान (भाग- 3)



राष्ट्रीय उद्यान-III

106 राष्ट्रीय उद्यान (2022)



परिचय

- पारिस्थितिकी, प्राणिजगत, वनस्पति, भू-आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्त्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है।
- राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।

तथ्य

- केबुल-लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (मणिपुर): विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम): यह वर्ष (2016) में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला और एकमात्र 'मिश्रित विश्व धरोहर स्थल' है।
- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान (अरुणाचल प्रदेश): यह विश्व का एकमात्र उद्यान है जहाँ बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड) और धूमिल तेंदुआ (क्लाउडेड लेपर्ड) जैसी बड़ी बिल्ली की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

